



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 श्रावण 1942 (श10)
(सं० पटना 474) पटना, सोमवार, 10 अगस्त 2020

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

10 अगस्त 2020

एस० ओ० 151, दिनांक 10 अगस्त 2020— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 12) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, वाणिज्य - कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस०ओ० 124, दिनांक 23 जनवरी, 2018, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 49, दिनांक 23 जनवरी, 2018 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् -

उक्त अधिसूचना के चौथे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

“परंतु यह भी कि उक्त अधिनियम की धारा 47 के तहत देय विलंब फीस की राशि को उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए जो की निम्न तालिका के स्तंभ (2) में उल्लिखित महीनों या तिमाही के लिए जावक प्रदाय की विवरणी प्ररूप जीएसटीआर-1 में नियत तारीख तक प्रस्तुत नहीं करते हैं, लेकिन उक्त विवरणी को उक्त तालिका के स्तंभ (3) में उल्लिखित तारीख या उससे पहले प्रस्तुत करते हैं, अधित्यक्त करते हैं :

तालिका

क्र.सं. (1)	माह/ तिमाही (2)	तारीख (3)
1	मार्च 2020	जुलाई, 2020 का 10वां दिन
2	अप्रैल, 2020	जुलाई, 2020 का 24वां दिन
3	मई, 2020	जुलाई, 2020 का 28वां दिन
4	जून, 2020	अगस्त, 2020 का 5 वां दिन
5	जनवरी से मार्च, 2020	जुलाई, 2020 का 17वां दिन
6	अप्रैल से जून, 2020	अगस्त, 2020 का 3 वां दिन ।”।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध21/2017-(खंड-10)1354)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव ।

10 अगस्त 2020

एस० ओ० 151, दिनांक 10 अगस्त 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय ।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-10) 1354)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव ।

The 10th August 2020

S.O. 151, Date 10th August 2020— In exercise of the powers conferred by section 128 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the notification of the Commercial Taxes Department notification No. S.O. 124, dated the 23rd January, 2018, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 49, dated the 23rd January, 2018, namely:—

In the said notification, for the fourth proviso, the following proviso shall be substituted, namely: —

“Provided also that the amount of late fee payable under section 47 of the said Act shall stand waived for the registered persons who fail to furnish the details of outward supplies for the months or quarter mentioned in column (2) of the Table below in **FORM GSTR-1** by the due date, but furnishes the said details on or before the dates mentioned in column (3) of the said Table:—

Table

Sl. No.	Month/ Quarter	Dates
1.	March, 2020	10 th day of July, 2020
2.	April, 2020	24 th day of July, 2020
3.	May, 2020	28 th day of July, 2020

Sl. No.	Month/ Quarter	Dates
4.	June, 2020	05 th day of August, 2020
5.	January to March, 2020	17 th day of July, 2020
6.	April to June, 2020	03 rd day of August, 2020.”.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-10)1354)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 474-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>